

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.: 1086 का संशोधन सहीत नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1086

विषय / Sub : इग्नाइटर कनेक्टर असेंब्ली, पार्ट सं. एन377-6600-02 Igniter Connector Assembly, Part Number: N377-6600-02

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एम ई सी इंजिनीयर्स, सं.23, बृंदावन ले आउट, कावलबैरसंद्रा, बेंगलूरु – 560 032, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " इग्नाइटर कनेक्टर असेंब्ली " पार्ट सं.: एन 377-6600-02 संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1086, दिनांक 17 दिसंबर 2004, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1086 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1086, दिनांक 03 जून 2011 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

This is to state that the "Igniter Connector Assembly", bearing part number N377–6600–02 designed, developed and manufactured by M/s. M.E.C. Engineers, No. 23, Brindavan Layout, Kavalbyrasandra, Bengaluru – 560 032 were issued with Type Approval No.:1086 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1086, dated: 17th December 2004. This was subsequently renewed vide Ref No. CEMILAC/5070/TA – 1086, dated: 03rd June 2011 and with its validity up to 30th June 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितम्बर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अगस्त 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), ओझर टाउनिशप-422 207, नासिक, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} September 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} August 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nashik), Ojhar Township – 422 207, Nashik, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

ਧੂਬ/Page 01 of 02

टी ए सं./TA No. 1086

संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1086, दिनांक 17 दिसंबर 2004 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1086, dated: 17th December 2004 is amended as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जो सकतो है।]"

"|Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1253/2R

दिनांक/Date: 30 January 2017 फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(गंतायत गौड़ वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G') स्थानामन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Offg. Chief Executive (Airworthiness)